The Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1964

Act No. 29 of 1964

Amendment appended: 27 of 2022

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this

document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

भाग – दो : खण्ड एक

तेंदू पत्ते का राष्ट्रीय व्यापार

अध्याय 1

मध्यप्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964

(वर्ष 1964 का 29)

दिनांक 23 नवम्बर, सन् 1964 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई जो ''मध्यप्रदेश राजपत्र, (असाधारण)'' दिनांक 28 नवम्बर, 1964 को प्रकाशित की गई - तेन्दू पत्तों के व्यापार को लोकहित में विनियमन करके, और तदर्थ उस व्यापार में राज्य का एकाधिकार उत्पन्न करने हेतु उपबंध करने हेतु अधिनियमः

भारत गणराज्य के पन्द्रहवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जावेः

धारा 1. संक्षिप्त नाम व विस्तार तथा प्रारम्भ - (1) यह अधिनियम मध्यप्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 कहलावेगा।

(2) इसका विस्तार क्षेत्र पूरा मध्यप्रदेश होगा।

(3) यह ऐसे क्षेत्रों में, या क्षेत्र में तथा ऐसे दिनांकों को प्रवृत्त होगा, जिसे या जिन्हें राज्य शासन अधिसूचना द्वारा, उल्लेखित करे।

नोट - यह अधिनियम पूरे मध्यप्रदेश में दिनांक 28-11-64 से प्रवृत्त हुआ जिसकी अधिसूचना म.प्र. शासन वन विभाग के नोटीफिकेशन क्र. 14334/x/64 दिनांक 28 नवम्बर, 1964 द्वारा जारी हुई जो दिनांक 28 नवम्बर, 1964 से राजपत्र (असाधारण) में पृष्ठ क्र. 3368 पर प्रकाशित हुई।

धारा 2. परिभाषाएं - इस अधिनियम में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) अभिकर्ता (Agent) से तात्पर्य धारा ''4'' के अधीन नियुक्त किये गये अभिकर्ता से है।

(ख) संहिता (Code) से तात्पर्य ''मध्य प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1959'' (भूराजस्व संहिता, 1959) (वर्ष 1959 का 20) से है।

[1](ग) व्यापारी से तात्पर्य कोई व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकारी, कम्पनी, अविभाजित हिन्दु परिवार या सोसायटी (जिसमें सहकारी समिति सम्मिलित है) क्लब, भर्म, एसोसियेशन, कमीशन ऐजेन्ट, या अन्य वाणिज्यिक एजेण्ट से है जो तेन्दूपत्ता खरीदने, बेचने और प्रदाय करने का व्यापार सीधे सीधे या अन्य प्रकार से करता है, चाहे नगदी, में आस्थागित भुगतान में, या कमीशन मजदूरी या प्रतिफल से करें।

(घ) ''तेन्दू पत्ता उगाने वाला'' (Grower of Tendu Leaves) से तात्पर्य –

(i) उन क्षेत्रों में, जो समय-समय पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्र. 16, वर्ष 1927) के अधीन आरक्षित एवं संरक्षित वनों के रूप में गठित किये गये क्षेत्र में, उगे तेन्दू के पौधों के सम्बन्ध में राज्य शासन से हैं।

(ii) उपरोक्त (i) के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्रों में उगाए गये तेंदू के पौधों के सम्बन्ध में –

---

1. म.प्र. अधिनियम क्र. 1 वर्ष 2008 द्वारा संशोधित।

(a) राज्य शासन है, जहां तेन्दूपत्ता संहिता की धारा (2) के खण्ड 'ब' में परिभाषित दखिल रहित भूमि पर उगाया जावे।

(ब) किसी इकाई के अन्तर्गत आने वाले ऐसे खाते के यथास्थिति भूधारी या भाड़ेदार, या शासकीय पट्टाधारी या ऐसी सेवा भूमि के धारक से, है जिसमें तेन्दू के पौधे उगते हों, और उसमें ऐसा प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित है, जो समय-समय पर, उसके माध्यम से तेन्दू के पौधों पर हक का दावा करता हो।

(स) किसी ऐसी इकाई में जिसमें तेन्दू पत्ता उगते हों, यथास्थिति मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1953 (क्र. 15 वर्ष 1953) के अधीन भूदान धारक, मध्य-भारत भूदान यज्ञ विधान, 1955 (क्र. 3, वर्ष 1955) के अधीन भूदान कृषक या भूदान पट्टेदार, विध्य प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1955 (क्र. 1, वष्ज्ञ 1956) के अधीन भूदान कृषक, तथा राजस्थान भूदान यज्ञ एक्ट, 1954 (क्र. 16, वर्ष 1954) के अधीन अनुदान ग्रहीता से है और उसमें ऐसा प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित है जो समय-समय पर, उसके माध्यम से तेन्दू के पौधों पर हक का दावा करता हो।

(ड) ''खाता से तात्पर्य -

(एक) ऐसे भूमि खण्ड से है जिसका भूराजस्व पृथक् से निर्धारित हुआ हो और जो भूमि स्वामी द्वारा धारित हो, और

(दो) भाड़ेदार या शासकीय पट्टाधारी द्वारा धारित भूमि के सम्बन्ध में, एक ही पट्टे या एक ही साथ चलने वाली शर्तों के अधीन यथा स्थिति भूमिस्वामी या राज्य शासन से धारण किए गए भूमि खण्ड से है।

(च) ''सेवा भूमि के धारक'' से तात्पर्य गांव के सेवक के रूप में सेवा करने की शर्त पर भूधारण करने वाले व्यक्ति से है।

(छ) ''शासकीय यपट्टेधारी'' से तात्पर्य संहिता की धारा 181 के अधीन राज्य शासन से भूमि धारण करने वाले व्यक्ति से है।

[1]छछ निर्माता- से तात्पर्य ऐसा व्यक्त ि(बीड़ी मजदूर के अतिरिक्त) स्थानीय अधिकारी, कम्पनी, अविभाजित हिन्दू परिवार, या सोयायटी (जिसमें सहकारी सोसायटी सम्मिलित है। क्लब, फर्म, या एसोसियेशन, जो बीडी बनाने के कार्य में लगी हो बेचा है किसी भी तरीके से बीड़ी बनावे।

(ज) ''उल्लिखित क्षेत्र'' (Specified Area) से तात्पर्य धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना में उल्लिखित क्षेत्र से है।

(झ) ''भाड़ेदार'' (Tenant) से तात्पर्य संहिता के चैदहवें अध्यशय के अधीन भूमि स्वामी से मौरूसी काश्तकार के रूप में भूमि धारण करने वाले व्यक्ति से है।

(ण) ''भूधारी'' (Tennure holder) से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो राज्य शासन से भूमि धारण करता हो और जो संहिता के उपबंधों के अधीन भूमि स्वामी हो या भूमि स्वामी माना गया हो।

(ट) ''इकाई'' (Unit) से तात्पर्य उल्लिखित क्षेत्र के उस उप-खण्ड से है जो धारा 3 के अधीन इकाई के रूप में गठित किया गया हो।

---

1. म.प्र. अधिनियम क्र. 1 वर्ष 2008 द्वारा छछ जोड़ी गई।

(ठ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इस अधिनियम में प्रयोग में लाई गई हो, किन्तु परिभाषित न की गई हों और जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्र. 16, वर्ष 1927) में परिभाषित की गई हों, का वही तात्पर्य होगा जो उनके लिये उस अधिनियम में दिया है।

धारा 3. इकाईयों का गठन - राज्य शासन प्रत्येक उल्लिखित क्षेत्र को उतनी इकाइयों में विभाजित कर सकेगा जितनी कि वह उपयुक्त समझे।

धारा 4. (1) राज्य शासन, अपनी ओर से तेन्दू पत्तों के क्रय तथा व्यापार के हेतु भिन्न-भिन्न इकाइयों के लिये अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकेगा तथा कोई भी ऐसा अभिकर्ता एक से अधिक इकाइयों के लिए नियुक्त किया जा सकेगा।

[1](2) अभिकर्ताओं की नियुक्ति सम्बन्धी निर्बन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसी शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जावें -

धारा 5. तेन्दू पत्ते के क्रय या परिवहन पर निबन्धन - (1) किसी भी क्षेत्र में धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन सूचना जारी होने पर -

(क) राज्य शासन।

(ख) इस सम्बन्ध में लिखित रूप से प्राधिकृत किये गये शासन के किसी पदाधिकारी, या

(ग) जिस इकाई में पत्ते उगाये गये हों उस इकाई से सम्बन्धित अभिकर्ता को छोड़कर कोई भी अन्य व्यक्ति तेन्दू पत्तों का न तो क्रय करेगा और न परिवहन करेगा।

व्याख्या 1. (एक) राज्य शासन या पूर्वोक्त शासकीय पदाधिकारी, [1]या अभिकर्ता द्वारा धारा 12 A के अन्तर्गत किया गया तेन्दू पत्तों का क्रय इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया क्रय नहीं समझा जावेगा।

(दो) खाते में कोई हित न रखने वाले किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिसने कि ऐसे खातों में उगाये गये तेन्दू पत्तों का संग्रह करने का अधिकार अर्जित कर लिया हो, यह समझा जायेगा कि उसने इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में ऐसे पत्तों का क्रय किया है।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी –

(क) तेन्दू पत्ते को उगाने वाला, अपने पत्तों का परिवहन, ऐसी इकाई के भीतर, जिसमें तेन्दू पत्ते उगे हों, किसी स्थान से उस इकाई में किसी स्थान तक कर सकेगा और,

[1](ख) ''ऐसे तेन्दू पत्तों का, जिनका क्रय राज्य शासन से तथा उक्त उपधारा में उल्लिखित किये गये किसी पदाधिकारी या अभिकर्ता से किसी व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर बीडियों के निर्माण के लिये या किसी व्यक्ति द्वारा राज्य के बाहर विक्रय के लिए धारा 5 के संशोधन जो म.प्र. तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम 7 वर्ष 1989 द्वारा किये गये है किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ईकाई के बाहर परिवहन उस सम्बन्ध में ऐसे प्राधिकार द्वारा, ऐसी रीति में और ऐसी फीस की देनगी की जाने पर, जैसा कि विहित किया जाये, जारी किये जाने वाले अनुज्ञा-पत्र के निबन्धों तथा शर्तों के अनुसार किया जा सकेगा। विभिन्न प्रकार की परिवहन गाडियों के लिये फीस की विभिन्न दरें विहित की जा सकेंगी।'

---

1. धारा 4 एवं 5 के संशोधन म.प्र. तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम (7 वर्ष 1989) द्वारा किये गये। राजपत्र दिनांक 17-4-89 पृष्ठ 739-41

(3) तेन्दू पत्ते का विक्रय करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति उन्हें पूर्वोक्त शासकीय पदाधिकारी या अभिकर्ता को इकाई के भीतर स्थित किसी भी संग्रहागार (फड़) में बेंच सकेगा।

नोट - अधिसूचना क्र. 6505/x/65- मध्यप्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार) विनियम), 1964 की धारा 5 की उपधारा 1 (ख) अनुरूप राज्य शासन सभी वन अधिकारियों को, जो कि वनपाल के पद के नीचे के न हों, तथा संभागीय वन अधिकारी (Divisional Forest Officer) के पद के उच्च पद के न हों, उन्हें इस नियम के अन्तर्गत तेन्दू पत्ता खरीदने एवं स्थानान्तरित करने का अधिकार प्रदान करता है।

(म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 26.5.65, पृष्ठ 1915)

टिप्पणी - (1) खरीददार को एक इकाई से बाहर दूसरी इकाई पर तेन्दू पत्ता ले जाने के लिये अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है, इसी प्रकार उपरोक्त न्याय दृष्टान्त में यह भी प्रतिपादित किया है कि अधिनियम की धारा 5(2) ब के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11(1) (फ) तथा (ज) का उल्लंघन नहीं करते।

(देखें - बृजलाल मणिलाल एण्ड कं. वि.म.प्र. राज्य-M.P.L.J. 1966 पृष्ठ 866, J.L.J. 1966, पृष्ठ 963)

(2) धारा 5 द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 या 301 का उल्लंघन नहीं होता।

देखें – M.P.L.J. 1967 पृष्ठ 267, J.L.J. 1967 पृष्ठ 569 A.I.R. 1967, M.P. 218, M.P.L.J. 1966 पृष्ठ 2 लाल राधो शा वि.म.प्र. राज्य)

(3) तेन्दू पत्ते के व्यापार में तेन्दू पत्ता क्रय करना तथा बेचने का व्यवहार सम्मिलित है तथा खरीदे गये पत्तों का परिवहन व्यवहार में नहीं आता।

देखें - M.P.L.J. 1970 पृष्ठ 129 में बृजलाल मणिलाल कम्पनी वि. म.प्र. राज्य)

(4) तेन्दू पत्ते का एकाधिकार, राज्य के भीतर उगे पत्तों से है तथा राज्य के बाहर से पत्ता लाने पर प्रतिबन्ध नहीं है याचिकाकर्ता राज्य के बाहर से तेन्दू पत्ता लाकर अपने कारोबार के स्थान पर एकत्रित करता है तब धारा 5 का उल्लंघन नहीं करता।

(देखें - म.प्र. राज्य वि. में छोटा भाई जेठा भाई पटेल एण्ड कं. 1972 M.P.L.J. पृष्ठ 641 (सु.को.) (ii) A.I.R. 1968 M.P. 127)

(5) बीड़ी निर्माताओं को खरीदी गई इकाई से अपने गोदाम या शाखा तक तेन्दूपत्ता परिवहन करने के लिए अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है लेकिन ऐसे पत्तों को मजदूरों को बीड़ी बनाने हेतु देने के लिये अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं हैं।

(देखें - बृजलाला मनिलाल एण्ड कं. वि. म.प्र. राज्य – M.P.L.J. 1970 पृष्ठ 518)

[1]धारा 6. लुप्त।

[1]धारा 7. राज्य शासन मूल्य निर्धारित करेगी: राज्य शासन, तेन्दूपत्ता उगाने वालों का तेन्दूपत्ता, उसके द्वारा, अधिकृत अधिकारी द्वारा या एजेन्ट द्वारा, राज्य शासन के अतिरिक्त खरीदने का मूल्य, उस विधि से जो निर्धारित की जावे, निर्धारित करेगी।

---

1. तेन्दू पत्ता व्यापार विनियन संशोधन अधिनियम 2007 (1 वर्ष 2008) को धारा 4 द्वारा धारा 6 विलोपित तथा धारा 7 प्रतिस्थापित।

धारा 8. संग्रहागारों का खोला जाना तथा संग्रहागारों (फड़ों) पर मूल्य सूची आदि का प्रकाशन - प्रत्येक इकाई में ऐसी संख्या में तथा ऐसी स्थानों पर, जैसा कि राज्य शासन, तेन्दू पत्ता उगाने वालों की सुविधा का विचार करते हुए निर्देशित करे, संग्रहागार (फड़ें) स्थापित किए जायेंगे और धारा 7 के अधीन राज्य शासन द्वारा निश्चित की गई तेन्दू पत्तों की मूल्य सूची, काम-काज के घण्टे, उस सूचना-फलक पर प्रमुख रूप से संप्रदर्शित किए जायेंगे जो कि इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक ऐसे संग्रहागार में रखा गया हो।

धारा 9. राज्य शासन या अभिकर्ता तेन्दू पत्तों का क्रय करेगा - (1) राज्य शासन या उसका प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता, काम-काज के घंटों के भीतर, संग्रहागार (फड़) में विक्रय के, लिए प्रस्तुत किए गए तेन्दू पत्ते, धारा 7 के अधीन निश्चित किए मूल्य पर, खरीदने को बाध्य होगा:

(2) उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता द्वारा, उसके पत्तों के अस्वीकार कर दिए जाने के कारण परिवेदित (Aggrieved) कोई भी व्यक्ति, ऐसी अस्वीकृति के पन्द्रह दिन के भीतर, ऐसी इकाई पर जिसमें कि पत्ते उगे हों क्षेत्राधिकार रखने वाले वन मण्डलाधिकारी या इस सम्बन्ध में राज्य शासन द्वारा सशक्त किए गये अन्य पदाधिकारी को मामला निर्दिष्ट कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर, यथास्थिति वन मण्डलाधिकारी, या ऐसा अन्य पदाधिकारी, उसी स्थान पर या मुख्यालय पर विहित रीति से जांच करेगा और सम्बन्धित पक्षों या उनके प्राधिकृत अभिकर्ता को सुनने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित करेगा जैसे कि वह ठीक समझे और उस दशा में जब वह पत्तों को अस्वीकार करना अनुचित पाता हो।

(क) यदि वह प्रश्नाधीन पत्तों को अब भी बीड़ियों के निर्माण के लिए उपयुक्त समझता हो, यथास्थिति पदाधिकारी या अभिकर्ता को उसका क्रय करने के आदेश दे सकेगा और परिवेदित व्यक्ति (Aggrieved person) को ऐसा अग्रेतर प्रतिकर (Further compensation), जैसा कि वह उचित समझे, और जो उसे पत्तों के देय मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक न हो, भुगतान के लिए निर्देश दे सकेगा।

(ख) यदि वह समझे कि प्रश्नाधीन (in question) पत्ते, इस बीच बीड़ी के निर्माण के लिए अनुपयुक्त हो गए हैं तो परिवेदित व्यक्ति को ऐसी रकम जो कि उपधारा (1) के अधीन, उसको ऐसे पत्तों के देय मूल्य से कम न हो, तथा ऐसे व्यक्ति के द्वारा उठाई गई हानि के लिए क्षतिपूर्ति धन के रूप में ऐसा अग्रेतर प्रतिकर, जैसा कि वह उचित समझे और जो ऐसे मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक न हो, भुगतान के लिए निर्देश दे सकेगा।

(4) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लिया जायेगा कि यदि राज्य शासन, उसके प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता को यह विश्वास करने के कारण हो कि विक्रय के लिये प्रस्तुत किये गये पत्ते, राज्य शासन के वनों या भूमियों के हैं, तो ऐसे पत्तों को अधिकार में लेने और केवल ऐसे संग्रहण सम्बन्धी व्ययों के, यदि कोई हों, जैसे कि राज्य शासन समय-समय पर अवधारित करे, भुगतान करने में कोई रुकावट आती है:

किन्तु किसी विवाद की दशा में, वन मण्डलाधिकारी या ऐसा अन्य पदाधिकारी, जो कि उपधारा (2) में उल्लिखित किये गये रूप में इस सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से सशक्त कर दिया जावे, उसमें उपबंधित रीति में उसे सुनेगा तथा उसका निपटारा करेगा।

नोट - मध्य प्रदेश शासन अधिसूचना क्र. 247/x/65 दिनांक 12-1-65, राज्य शासन म.प्र. तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन), 1964 (क्र. 29, वर्ष 1964 की धारा 9 की उपधारा (2) से प्रदत्त शक्तियों द्वारा समस्त परिक्षेत्र अधिकारियों (Range Officers) को उक्त धारा (9) के उपधारा (2) के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए सशक्त करता है।

धारा 10. रजिस्ट्रीकरण - राज्य शासन को छोड़कर, तेन्दू पत्तों का अन्य उगाने वाला, यदि यह संभावना हो कि वर्ष के दौरान, उसके द्वारा उगाये पत्ते का परिणाम, ऐसे परिणाम से जो विहित किया जावे, अधिक हो जावेगा, स्वयं को विहित रीति से रजिस्ट्रीकृत करा लेगा।

धारा 11. बीड़ियों के निर्माता और तेन्दूपत्ता व्यापारी का रजिस्ट्रीकरण - (1) प्रत्येक बीड़ियों का निर्माता तथा प्रत्येक तेन्दू पत्ते का व्यापारी, जैसे कालावधि के भीतर जो निर्धारित की जावे और ऐसी फीस का भुगतान कर और उस विधि से जो निर्धारित की जावे, स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करावेगा।

(2) बीड़ियों का प्रत्येक निर्माता और तेन्दू पत्ते का प्रत्येक व्यापारी को उपधारा (1) में रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, ऐसे प्रारूप में, ऐसे दिनांक तक ऐसी रीति से जो विहित की जावे, घोषणा प्रस्तुत करेगा।

धारा 12. पत्तों का निवर्तन - इस अधिनियम के अधीन, राज्य शासन द्वारा या उसके पदाधिकारी या अभिकर्ता द्वारा क्रय किये तेन्दू पत्ते ऐसी रीति में, जैसा कि राज्य शासन निर्देश दे, बेच दिये जावेंगे या उनका अन्यथा निवर्तन कर दिया जायेगा।

धारा 12.क. अतिरिक्त तेन्दू पत्तों का पुनर्विक्रय - (1) कोई बीड़ियों का निर्माता या तेन्दू पत्तों का निर्यातक, जिसके पास उसकी आवश्यकता 1{ } के पश्चात् अतिरिक्त मात्रा में तेन्दू पत्ता बचा रह जाता हो, वह ऐसे अतिरिक्त बचे तेन्दू पत्तों का पुनर्विक्रय राज्य शासन की या ऐसी किसी पदाधिकारी की, जो इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किया जाए, अनुज्ञा के बिना नहीं करेगा। वह व्यक्ति, जो ऐसे तेन्दू पत्तों का पुनर्विक्रय करने का अभिप्राय रखता हो, राज्य शासन अथवा प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे प्रारूप में, ऐसी विशिष्टयां अन्तर्विष्ट करते हुए, जैसा कि विहित किया जाए, आवेदन करेगा।

(2) कोई बीड़ियों का निर्माता या तेन्दू पत्तों का [1]{व्यापारी} जो इस धारा की उपधारा (1) में वर्णित तेन्दू पत्तों में ऐसे अतिरिक्त परिणाम का क्रय करने का अभिप्राय रखता हो, उसका क्रय राज्य शासन की या ऐसी किसी प्राधिकारी की, जो इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किया जाए, अनुज्ञा के बिना नहीं करेगा। ऐसा बीड़ियों का निर्माता या तेन्दू पत्तों का [1]{व्यापारी} राज्य शासन को या ऐसे किसी पदाधिकारी को, जो इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किया जाए, ऐसे प्रारूप में, ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करते हुए जैसा कि विहित किया जाए, आवेदन करेगा।

(3) तेन्दू पत्तों का पुनर्विक्रय करने के उपधारा (1) के अधीन आवेदन तथा ऐसे तेन्दू पत्तों का क्रय करने के लिए उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, राज्य शासन या प्राधिकृत पदाधिकारी क्रेता द्वारा ऐसी राशि की, जो कि विहित की जाए, देनगी की जाने पर, उन दोनों को लिखित में अनुज्ञा दे सकेगा।

टिप्पणी - धारा 12, 19-धारा 12 के शब्द ''निर्देश दें'' का तात्पर्य यह नहीं कि राज्य शासन नियम नहीं बना सकती है। इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य शासन का तेन्दू पत्तों के विक्रय के, विनियमन के या निवर्तन के नियम बनाने की पूर्ण शक्ति है। धारा 19 के अन्तर्गत राज्य शासन को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है ।

(देखें A.I.R. 1966 M.P. 34 (39)]

---

1. म.प्र. तेन्दूपत्ता व्यापार विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2007) क्र. 1 वर्ष 2008) द्वारा धारा 11 पुनः स्थापित। धारा 12 A संशोधित।

धारा 12. तथा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 299 - राज्य द्वारा कतिपय इकाईयों से तेन्दू पत्ता विक्रय के लिये निविदायें आमंत्रित की गई तथा याचिकाकर्ता द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई एवं प्रतिभूति राशि जमा की गई। किन्तु निविदा खुलने के पूर्व याचिकाकर्ता द्वारा निविदा वापस लेने का आवेदन दिया तथा अनुरोध किया कि निविदा न खोली जावे। किन्तु निविदा खोली गई क्योंकि वह अकेली थी। याचिकाकर्ता द्वारा इकरारनामा निष्पादित नहीं किया। पश्चात् तेन्दू पत्ते का विक्रय अन्य व्यक्ति को किया गया तथा याचिकाकर्ता द्वारा दी गई निविदा तथा बाद में बेचे गये तेन्दू पत्तों का विक्रय मूल्य के अंतर की राशि की वसूली की कार्यवाही की गई। निर्णय हुआ कि निविदा सूचना की शर्तें जो धारा 12 के अन्तर्गत प्रकाशित हुई, विधि का रूप नहीं ले सकती संविदा जो संविधान की धारा 299(1) के अनुसार निश्पादित नहीं की गई, प्रभावशाली नहीं हैं।

देखें: (1) M.P.L.J. D1966, पृष्ठ 1057

(2) M.P.L.J. 1972 पृष्ठ 648 राजेन्द्र कुमार वर्मा वि. म. प्र. राज्य

J.L.J. 1972, पृष्ठ 345

A.I.R. 1972 M.P. 131

इसी प्रकार यदि संविधान की धारा 299(1) के अनुसार संविदा निष्पादित न हो तो राज्य शासन हानि की राशि, धारा 82 (भा.व.अ. 1927) के अन्तर्गत वसूल नहीं कर सकता। (राम जुड़ावन तिवारी वि. वन संरक्षक भोपाल, वी. नो. 1980(1), पृष्ठ 303)

तेन्दू पत्ते के संग्रहण हेतु निविदा बुलाई गई किन्तु स्वीकृति नहीं सूचित की गई। शासन हानि नहीं वसूल कर सकता। 1987 M.P.L.J./102

धारा 13. शक्तियों का प्रत्यायोजन (Delegation of Power) - राज्य शासन, आदेश द्वारा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सहायक वन संरक्षक से निम्न श्रेणी के किसी भी पदाधिकारी या प्राधिकारी को अपनी किन्हीं भी शक्तियों से या कृत्यों से प्रत्योजित (delegate) कर सकेगा जो कि उन्हें ऐसी शर्तों या निबन्धनों के अधीन, जैसी की राज्य शासन आदेश में उल्लिलिखत करे, प्रयोग में लायेगा या सम्पादित करेगा।

नोट - राज्य शासन ने निम्नानुसार अधिकार दिये हैं।

अधिसूचना क्र. 246/X/65 दिनांक 12-1-65 मध्य प्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 (क्र. 29, वर्ष 1964) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, निम्न अनुसूची के स्तम्भ (Column 2) में प्रदर्शित अधिकारों को इन्हीं अनुसूची के स्तम्भ (Column 3) में प्रदर्शित अधिकारियों को अधिकार प्रदत्त करता है जो कथित अनुसूची के स्तम्भ 4 में निर्देशित यदि कोई शर्त या प्रतिबन्ध हो तो उसको मानते हुए कथित अधिकारों का प्रयोग करेगा।

(म.प्र. राजपत्र दिनांक 12-1-1965, पृष्ठ 34 पर प्रकाशित)

अनु. 1	अधिकार 2	अधिकारी 3	शर्त एवं प्रतिबंध 4	रिमार्क 5
1.	अधिनियम की धारा 3 के अनुसार इकाई गठन का अधिकार	1. वन संरक्षक, तेन्पू पत्ता, भोपाल। [1]2. मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल। [1]3. उप मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल।	राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से अधिकार का प्रयोग होगा	अधिसूचना क्र. 618-X-71 दि. 18-2-71 द्वारा संशोधित
2.	अधिनियम की धारा 4 के अधीन अभिकर्ता-कताओं की नियुक्ति का अधिकार तथा अभिकर्ताओं की नियुक्ति को रद्द करने की शक्ति	क्षेत्रीय वृत्तों के प्रभारी वन संरक्षक		प्रतिबन्ध म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्र. 974/X/(2)-70 दि. 14-4-70 जो राजपत्र दिनांक 21-4-70 पर पृष्ठ 915-916 पर प्रकाशित से विलोपित
3.	अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत डिपो खोलने का अधिकार	संभागीय वन अधिकारी (वन मण्डलाधिकरी)		

धारा 14. अधिहरणीय सम्पत्ति के अभिग्रहण की शक्ति और उसके लिये प्रक्रिया - (1) समस्त वन पदाधिकारी या सहायक उप-निरीक्षक से अनिम्न श्रेणी का कोई भी पुलिस पदाधिकारी या राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गए नियमों के उपबंधों के पालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से या स्वयं का यह समाधान करने की दृष्टि से उक्त उपबंधों का पालन किया गया है –

(एक) तेन्दू पत्ते के लिये उपयोग में लाये गये या उपयोग में लाये जाने के लिये अभिप्रेत किसी नाव, गाड़ी या तेन्दू पत्ता भरने के लिये उपयोग में लाया जाने वाला सामान (भक्कू) को रोक सकेगा या उसकी तलाशी ले सकेगा।

(दो) किसी स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा।

(2) तेन्दू के उन पत्तों का जिनके सम्बन्ध में यदि संदेह को कि इस अधिनियम के अधीन या उसके बनाये नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है, किया जा रहा है, किया जाने वाला है, तो वह सामान, जिसमें पत्ते रखे हों या पत्तों को ले जाने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली गाड़ियों या नाव सहित अभिग्रहण कर सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण करने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसे राज्य शासन ने इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किया हो, ऐसी समस्त सम्पत्ति पर यह उपदर्शित करने वाला एक चिन्ह लगायेगा कि उसका इस प्रकार अभिग्रहण किया गया है, और अभिग्रहीत की गई सम्पत्ति को या तो यथाशक्य शीघ्र सहायक वन संरक्षक से अनिम्न श्रेणी के पदाधिकारी के या किसी ऐसे व्यक्ति के जिसे राज्य शासन ने, अधिसूचना द्वारा, इस सम्बन्ध में प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया हो, (जो इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत पदाधिकारी के नाम से निर्दिष्ट है) समक्ष पेश करेगा, या जहां परिणाम या प्रपुंज (बल्क) को, अन्य वास्तविक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए यह साध्य न हो कि अभिग्रहीत की गई सम्पत्ति को प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष पेश किया जा सके, वहां वह अभिग्रहण की बाबत प्रतिवेदन प्राधिकारी को करेगा, या जहां अपराधी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाहियां तुरंत आरम्भ करना अभिप्रेत हो, वहां ऐसे अभिग्रहण का प्रतिवेदन उस मजिस्ट्रेट को करेगा जो उस अपराध का विचारण करने की अधिकारिता रखता हो जिसके कि कारण अभिग्रहण किया गया है।

परंतु जब वे तेन्दू पत्ते जिनके बारे में ऐसा अपराध किये जाने का विश्वास किया जाता है, शासन की सम्पत्ति है, और अपराधी अज्ञात है।, तब यदि पदाधिकारी परिस्थितियों के बारे में प्रतिवेद न अपने पदीय वरिष्ठ को यथाशीघ्र दे देता है तो वह पर्याप्त होगा।

[1]3.A (1) कोई वन अधिकारी, जो वन क्षेत्र पाल के पद से अनिम्न पद का न हों और जिसके अधीनस्थ अधिकारी ने उपधारा (2) के अन्तर्गत कोई औजार, नाव, वाहन रस्सी चेन या अन्य वस्तु जप्त की हो, को उन वस्तुओं के मालिक द्वारा, उन वस्तुओं के मूल्य मालिक, द्वारा उन वस्तुओं के मूल्य के बराबर या उस अधिकारी की सन्तुष्टि तक की राशि की जमानत निष्पादित की हो और यह लिखित में, यह बन्ध पत्र प्रस्तुत करे कि वह उन वस्तुओं को जिस स्थान पर, जिस दिनांक को निर्देशित किया जावे, प्राधिकृत अधिकारी या उस मजिस्ट्रेट के सामने, जिसको, उस प्रकरण की सुनवाई की अधिकारिता है, प्रस्तुत करेगा, सुपुर्दगी में दे सकेगा।

(4) उपधारा (6) के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, जब प्राधिकृत पदाधिकारी का यथास्थिति तेन्दू पत्तों को अपने समक्ष पेश किये जाने पर या अभिग्रहण के बारे में प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर, यह समाधान हो जाता है कि उसके बारे में अपराध किया गया है, तो वह, लिखित आदेश द्वारा, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, उन तेन्दू पत्तों को, जो इस प्रकार अभिगृहित किये गये हैं, समस्त औजारों, गाड़ियों, नावों, रस्सों, जंजीरों या किन्हीं अन्य वस्तुओं सहित?, जिनका कि उपयोग ऐसे अपराध के करने में किया गया है अधिहृत कर सकेगा। [1](प्राधिकृत अधिकारी के

आदेश की एक प्रति) असम्यक् विलम्ब के बिना उस वृत्त के वन संरक्षक को भेजी जायेगी जिसमें कि तेन्दू पत्तों को अभिगृहीत किया गया है।

(5) उपधारा (3) के अधीन किसी संपत्ति को अधिहृत करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि प्राधिकृत पदाधिकारी –

---

1. म.प्र. तेन्दू पत्ता व्यापार विनियम संशोधन अधिनियम 2007 द्वारा उपधारा 3-A जोड़ी गई तथा 4 में संशोधन किया।

(क) सम्पत्ति के अधिहरण के लिये कार्यवाहियां शुरू किये जाने के बारे में सूचना उस अपराध का, जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है, विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को विहित प्रारूप में नहीं भेज देता।

(ख) उस व्यक्ति को, जिससे यह सम्पत्ति अभिगृहीत की गई है तथा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसके बारे में प्राधिकृत पदाधिकारी को यह प्रतीत होता हो कि उसका ऐसी सम्पत्ति में कोई हित है, लिखित सूचना नहीं दे देता।

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति को प्रस्तावित अधिहरण के विरूद्ध ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर, जैसा कि सूचना में उल्लिखित किया जाये, अभ्यावेदन करने का अवसर दे देता; और

(घ) अभिग्रहण करने वाले पदाधिकारी की तथा उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों की, जिसे उन्होंने खण्ड (ख) के अधीन सूचना दी हो सुनवाई, उस प्रयोजन के लिये नियत किये जाने वाले दिनांक को नहीं कर लेता।

(6) उपधारा (4) के अधीन, किन्हीं औजारों, गाड़ियों, नावों, रस्सों, जंजीरों या किसी अन्य वस्तु के (जो अभिगृहीत किये तेन्दू पत्तों से भिन्न हो) अधिहरण का कोई आदेश नहीं किया जायेगा यदि उपधारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, प्राधिकृत पदाधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि किन्हीं ऐसे औजारों, गाड़ियों, नावों, रस्सों, जंजीरों या अन्य वस्तुओं का उपयोग उसकी जानकारी या मौनानुकूलता के बिना किया गया था और यह कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किये जाने के किये पूर्वोक्त वस्तुओं के उपयोग को रोकने के लिये समस्त युक्तियुक्त और आवश्यक पूर्वावधानियां बरती गई थीं।

(7) इस धारा के अन्तर्गत की जाने वाली तलाशी एवं जप्त के सम्बन्ध में, भा.द.प्र. संहिता 1973 (क्र. 2 1974) को धारा 102 एवं 103 के तलाशी एवं जप्ती के प्रावधान, जहां तक लागू हों, इसमें भी लागू होंगे।

[1]8. जब उस प्राधिकृत अधिकृत द्वारा, जिसका उस क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार हो, उसने स्वयं वस्तुएं जप्त की हो या जिसने उस प्रकरण का अन्वेषण किया हो, तो वन मण्डलाधिकारी उस प्रकरण को उसी पद के दूसरे अधिकारी को हस्तांतरित कर सकेगा जो इस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही करेगा।

14. क. अधिहरण के आदेश के विरूद्ध अपील - (1) अधिहरण के किसी आदेश से परिवेदित कोई व्यक्ति, आदेश के लिए किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर, या यदि ऐसे आदेश सम्बन्धी तथ्य की संसूचना उसे नहीं दी गई हो तो ऐसे आदेश की जानकारी होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर, उस वन वृत्त के, जिसमें तेन्दू पत्ते अभिगृहीत किये गये हों, वन संरक्षक (जो इसमें इसके पश्चात् अपील प्राधिकारी के नाम से निर्दिष्ट है) को लिखित में अपील कर सकेगा जिसके साथ ऐसी फीस जमा की जायेगी और जो ऐसे रूप में देय होगी जैसा कि विहित किया जाए, और उसके साथ अधिहरण के आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न होगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी, उस दशा में जबकि उसके समक्ष कोई अपील न की गई हो, अभिग्रहण करने वाले [1]{पदाधिकारी} को, और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जिसका कि अपील अधिकारी की राय में प्राधिकृत अधिकारी के आदेश से प्रतिकूलतः प्रभावित होना संभाव्य है, (जिसके अन्तर्गत अपीलार्थी, यदि कोई हो, आता है) स्वप्रेरणा से की जाने वाली कार्यवाई की सुनवाई की सूचना [1]{प्राधिकृत अधिकारी} के आदेश की प्रति उसे प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर स्वप्रेरणा से दे सकेगा, और अपील के ज्ञापन के पेश किये जाने की दशा में, वह अपील की सुनवाई की सूचना उक्त व्यक्तियों को देगा, और मामले के अभिलेख मंगा सकेगा।

परंतु अपील की कोई औपचारिक सूचना अपीलार्थी, अभिग्रहण करने वाले पदाधिकारी और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति जिसका कि पूर्वोक्तानुसार प्रतिकूल, प्रभावित होना संभाव्य है, में से उसको दिया जाना आवश्यक नहीं होगा जो सूचना अधित्यजन कर दे या जिसे अपील की सुनवाई का दिनांक, अपील प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य रीति में सूचित किया जा सकता हो।

---

1. म.प्र. तेन्दूपत्ता व्यापार विनियमन संशोधन अधिनियम 2007 द्वारा उपधारा '8' जोड़ी गई। 14 'क' (2) में संशोधन किया।

(3) अपील अधिकारी, अपील किये जाने की, या स्वप्रेरणा से की जाने वाली कार्यवाही किये जाने के बारे में में प्राधिकृत अधिकारी को लिखित सूचना देगा।

(4) अपील अधिकारी, अधिहरण की विषय वस्तु की अभिरक्षा परिरक्षण या व्ययन (यदि आवश्यक हो) के लिये अन्तिरिम स्वरूप ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे कि उसे उस मामले की परिस्थितियों में न्यायसंगत प्रतीत हो।

(5) अपील अधिकारी, मामले की प्रकृति या अन्तर्गत जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए अपील के पक्षकारों को, उनका प्रतिनिधित्व उनके अपने विधि व्यावसायियों के द्वारा किये जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(6) अपील की या स्वप्रेरणा से की जाने वाली कार्यवाही की सुनवाई के लिए नियत की गई तारीख को, या ऐसी तारीख को, जिसके लिए सुनवाई रखी जावे, अपील अधिकारी अभिलेख का परिशीलन करेगा और यदि अपील के पक्षकार स्वयं उपस्थित हों तो उनकी सुनवाई करेगा या लिखित में सम्यक रूप से प्राधिकृत किये गये किसी अभिकर्ता या विधि व्यवसायी की मार्फत सुनवाई करेगा और उसके पश्चात् अधिहरण के आदेश की पुष्टि करने, उसे उलटने या उसे उपान्तरित करने का आदेश पारित करने के लिए अग्रसर होगा, परन्तु कोई आदेश पारित करने के पूर्व अपील अधिकारी यदि अपील के या स्वप्रेरणा से की गई कार्यवाही के उचित निपटारे के लिये, यह आवश्यक समझा जाता है तो अतिरिक्त जांच या तो स्वयं कर सकेगा या प्राधिकृत अधिकारी से करवा सकेगा और किसी ऐसे तथ्य का, जो विचारर्थ उद्भूत हो, प्राख्यान या खण्डन करने के लिए पक्षकारों को शपथ पत्र फाइल करने के लिये अनुज्ञा दे सकेगा और तथ्यों का सबूत शपथ पत्र द्वारा किये जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(7) अपील प्राधिकारी पारिणामिक स्वरूप के ऐसे आदेश भी पारित कर सकेगा जैसे कि वह आवश्यक समझे।

(8) अंतिम आदेश की, या पारिणामिक स्वरूप के आदेश की प्रति पालन के लिये अपील प्राधिकारी के आदेश के अनुरूप कोई अन्य समुचित आदेश पारित करने के लिये, प्राधिकृत पदाधिकारी को भेजी जायेगी।

धारा 14. ख. अपील प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण - (1) अपील का कोई भी पक्षकार, जो अपील प्राधीकारी द्वारा पारित किये गये अंतिम आदेश से या पारिणामिक स्वरूप के आदेश से परिवेदित हो, उस आदेश के, जिसके विरूद्ध आक्षेप किया जाना ईप्सित है, तीस दिन के भीतर, उस सेशन न्यायालय को,

पुनरीक्षण के लिये याचिका प्रस्तुत कर सकेगा जिसके सेशन खण्ड के भीतर अपील प्राधिकारी का मुख्यालय स्थित हो।

---

1. म.प्र. तेन्दूपत्ता व्यापार विनियमन संशोधन अधिनियम 2007 द्वारा उपधारा '8' जोड़ी गई। 14 'क' (2) में संशोधन किया।

व्याख्या - इस उपधारा के अधीन तीस दिन की कालावधि की संगणना करने में, वह समय अपवर्जित कर दिया जायेगा जो अपील प्राधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित रहा हो।

(2) सेशन न्यायालय, अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये किसी अंतिम आदेश या किसी पारिणामिकस्वरूप के आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उलट सकेगा, या उसे उपान्तरित कर सकेगा।

(3) पुनरीक्षण में पारित किये आदेश की प्रतियां, अपील प्राधिकारी को तथा प्राधिकृत पदाधिकारी को, पालन के हेतु या ऐसे अतिरिक्त आदेश पारित करने हेतु या ऐसी अतिरिक्त कार्यवाही करने हेतु भेजी जायेगी जैसा कि ऐसे न्यायालय द्वारा निदेशित किया जाये।

(4) इस धारा के अधीन किसी पुनरीक्षण को ग्रहण करने, उसकी सुनवाई करने और उसका विनिश्चित करने के लिये सेशन न्यायालय, जहां तक हो सके उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करेगा और उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जिसका कि प्रयोग और अनुसरण वह दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) के अधीन किसी पुनरीक्षण को ग्रहण करने, उसकी सुनवाई करने और उसका विनिश्चय करने के समय करता है।

(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) में अन्तर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन पारित किया गया सेशन न्यायालय का आदेश अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

धारा 14. ग. कतिपय परिस्थितियों में न्यायालय आदि की अधिकारिता का वर्जन - (1) उस अपराध का, जिसके कारण उस सम्पत्ति का, जो कि अधिहरण की विषय-वस्तु है, अभिग्रहण किया गया है विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को सम्पत्ति के अधिहरण के लिये कार्यवाहियां शुरू की जाने के बारे में धारा 14 की उपधारा (5) के अधीन सूचना के प्राप्त होने पर, किसी भी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी (जो यथास्थिति धारा 14, 14-क में निर्दिष्ट प्राधिकृत पदाधिकारी, अपील पदाधिकारी तथा सेशन न्यायालय से भिन्न हो) को, इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस सम्पत्ति के कब्जे, परिदान, निवर्तन या विवरण के विषय में कोई आदेश करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसके बारे में धारा 14 के अधीन अधिहरण की कार्यवाहियां शुरू हो गई हैं।

परन्तु सम्पत्ति के निवर्तन के लिए कोई आदेश पारित करने के पूर्व, मजिस्ट्रेट अपना यह समाधान कर लेगा कि धारा 14 की उपधारा (5) के अधीन कोई सूचना उसके न्यायालय को या उस अपराध का जिसके कारण सम्पत्ति का अभिग्रहण किया गया है, विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त नहीं हुई है।

व्याख्या - जहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण करने की अधिकारिता दो या अधिक न्यायालयों को हो, वहां ऐसी अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में से किसी

एक को धारा 14 की उपधारा (5) के अधीन की सूचना प्राप्त हो जाने पर यह अर्थ लगाया जायेगा कि उस उपबंध के अधीन सूचना समस्त न्यायालयों पर प्रवर्तित होगी।

(2) इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी भी बात के सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायेगा कि वह राज्य शासन द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किये गये किसी पदाधिकारी को इस बात से निवारित करती है कि वह धारा 14 अधीन अभिगृहीत की गई किसी सम्पत्ति को तुरन्त निर्मुक्त किये जाने का निर्देश किसी भी समय दें।

धारा 14. घ. सम्पत्ति का अधिहरण, जब कि वह उपज शासन की सम्पत्ति न हो - ऐसे समस्त तेन्दू पत्ते, जो दोनों में से प्रत्येक दशा में शासन की सम्पत्ति नहीं है और जिसके विषय में इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है, तथा समस्त औजार, नावें, गाड़ियां, रस्से, जंजीर या कोई अन्य वस्तुएं, जिनका प्रत्येक दशा में उपयोग ऐसा उल्लंघन करने में किया गया है, अपराध को ऐसे उल्लंघन के लिये दोषसिद्ध ठहराये जाने पर धारा 14-14-क, 14-ख तथा 14-ग के अध्यधीन रहते हुए अधिहरणीय होगी।

नोट - वन विभाग, भोपाल अधि. क्र. एफ 18-3-87 दस दिनांक 6.1.90: म.प्र. तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 (क्र 29 वर्ष 1964) की धारा 14 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, समस्त सहायक वन संरक्षक, जो उप वनमण्डल के प्रभार में हों, को उक्त धारा में निहित प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी घोषित करता है।

नोट - मध्य प्रदेश शासन वन विभाग अधिसूचना क्र. 248/X/65 दि. 12.1.65 - मध्यप्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 (क्र. 29, वर्ष 1964) का धारा 14 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त् शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन सभी वन अधिकारियों को उनके सम्बन्धित अधिकार-क्षेत्रों के लिये कथित धारा के प्रयोजनों के लिये अधिकृत करती है।

धारा 15. शास्ति - यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो -

(क) वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास से कम न हो तो जो एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है या अर्थदण्ड से जो पांच हजार रूपये [1]से कम न हो और जो रूपये 50,000 तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा।

जब तक कि न्यायालय इस बात से सन्तुष्ट हो कि सजा से भी न्याय की मांग की पूर्ति हो जावेगी और वह उन कारणों को लेखबद्ध करेगी।

(ख) उन तेन्दू पत्तों को, जिनके सम्बन्ध में ऐसा उल्लंघन किया गया हो, या उनके ऐसे भाग को, जैसा कि न्यायालय को उचित प्रतीत हो, शासन के पक्ष में जप्त कर लिया जायेगा:

परंतु यदि न्यायालय की राय है कि यथास्थिति सम्पूर्ण पत्तों या उनके किसी भाग के सम्बन्ध में जप्ती का निर्देश देना आवश्यक नहीं है, तो वह अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के आधार, पर, ऐसा नहीं करेगा।

धारा 16. चेष्टायें तथा अभिप्रेरण (Attempt and abetment) - किसी भी व्यक्ति को, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्ध का उल्लंघन करने की चेष्टा करे, या उसके उल्लंघन को अभिप्रेरित (abets) - करे, ऐसे उपबन्ध का उल्लंघन करने वाला समझा जावेगा।

धारा 17. अपराधों का प्रसंज्ञान (Congizance) - खण्डीय वन पदाधिकारी (वन मण्डलाधिकारी) से अनिम्न किसी वन पदाधिकारी द्वारा या किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा, जो कि इस सम्बन्ध में राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत कर दिया

जावे, उन तथ्यों के सम्बन्ध में जिनसे कि अपराध बनता हो, किये गये लिखित प्रतिवेदन के बिना कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रसंज्ञान नहीं करेगा।

नोट - राज्य शासन व विभाग की अधिसूचना क्र. 249/X/65 दि. 12-1-65 से सभी सहायक वन संरक्षकों को तथा क्र. 8772/X/69 दि. 20-12-1969 से सभी अतिरिक्त सहायक वन संरक्षकों को धारा 17 के प्रयोजनों के लिये प्राधिकृत किया है। किन्तु राज्य शासन ने अब अतिरिक्त सहायक वन संरक्षक का पद नाम भी सहायक वन संरक्षक कर दिया है। पहली अधिसूचना राजपत्र (असाधारण) दि. 12-1-65 के 12-1-65 के पृष्ठ 34 पर तथा दूसरी मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दि. 22-12-1969 के पृष्ठ 2941 पर प्रकाशित हुई है।

[1]धारा 17 A. अवराधों का प्रशमन करने की शक्ति - राज्य शासन शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर वन अधिकारी को निम्न के लिए अधिकृत कर सकता है -

(a) उस व्यक्ति से, जिसके विरूद्ध इन अधिनियम के या इसके अन्तर्गत बने नियमों के अन्तर्गत अपराध करने का युक्तियुक्त सन्देह हो, उस अपराध के लिए जो उस अपराधी ने किया हो, प्रतिकर के रूप में राशि स्वीकार करने।

(b) जब कोई ऐसी सम्पत्ति जप्त हुई हो, जो राजसात होने के दायित्वाधीन हो, उसको राजसात होने के आदेश होने के पूर्व, समुचित अधिकारी द्वारा अनुमानित किया जावे, सम्पत्ति के मालिक द्वारा भुगतान करने पर छोड़ सकता है।

(2) इस प्रकार राशि या मूल्य दोनों के, जैसा प्रकरण हो, के भुगतान होने पर वह सन्देहास्प्रद व्यक्ति, यदि वह अभिरक्षा में हो को मुक्त किया जावेगा, और वह सम्पत्ति के विरूद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।

(3) इस धारा के अन्तर्गत उस अधिकारी को अधिकृत नहीं किया जावेगा जो वन क्षेत्रपाल के पद से निम्न पद का हो और क्लाज (a) के अन्तर्गत प्रतिकार के रूप में जो राशि वसूल की जावेगी वह जप्त शुदा तेन्दू पत्ते के मूल्य के दस गुना से अधिक नहीं होगी।

परन्तु यदि वह तेन्दू पत्ता, जिसके सम्बन्ध में अपराध कारित हुआ है, वह शासन की सम्पत्ति नहीं है या जप्तशुदा तेन्दूपत्ते का मूल्य रू. 1000/- से कम हो, और अपराधी ने प्रथम बार अपराध किया हो, तो उस व्यक्ति को रू. या जप्तशुदा वस्तु का (तेन्दूपत्ता छोड़कर) मूल्य जमा करने पर (जो कम हो) छोड़ दिया जावेगा, और जप्तशुदा तेन्दूपत्ता यदि शासन की सम्पत्ति न हो, तो उसके मूल्य के भुगतान करने पर या अन्यथा छोड़ दिया जावेगा।

धारा 18. सद्भावना पूर्वक किये गये कार्यों के सम्बन्ध में व्यावृत्ति (Saving) - किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध, किसी भी ऐसी बात के लिये, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में, सद्भावनापूर्वक की गई हो या जिसका इस प्रकार किया जाना अभिप्रेत रहा हो, पहुंचाये गये या संभाव्यतः पहुंचाने वाले किसी नुकसान अथवा उठाई गई या सम्भाव्यतः उठाई जाने वाली क्षति के लिए कोई वाद या अभियोजन या विधिक कार्यवाही प्रस्तुत नहीं होगी।

धारा 19. नियम बनाने की शक्ति - (1) राज्य शासन, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के सामान्यतया किन्हीं भी उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा।

(2) विशेषतः और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी विषयों के लिये उपबन्ध हो सकेगा, अर्थात्-

[2] (क) विलोपित,

(ख) तेन्दू पत्ते की मूल्य सूची का प्रकाशन,

(ग) इस अधिनियम के अधीन जांच करने की विधि,

(घ) वे निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अधीन अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा, वह प्राधिकारी जिसके द्वारा वह रीति जिसमें तथा वह फीस या फीसें जिसकी या जिनकी देनगी की जाने पर विभिन्न प्रकार की परिवहन गाडियों के लिये अनुज्ञा पत्र जारी किये जा सकेंगे।

(ङ) धारा 10 के अधीन पंजीयन (Registration) - की रीति,

(च) (1) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रेशन की रीति, कालावधि, जिसके भीतर ऐसा रजिस्ट्रेशन किया जावेगा तथा उसके लिये देय फीस।

(2) धारा 11 की उपधारा 2 के अधीन घोषणा का प्रारूप। अधिकारी जिसको, दिनांक तथा रीति, जिस प्रकार घोषणा प्रस्तुत की जावेगी।

---

1. म.प्र. तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन अधि. 2007 द्वारा धारा 17- A जोड़ी गई।
2. म.प्र. तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा विलोपित।

1(च-एक) धारा 12 (क) की उपधारा (3) के अधीन वह राशि (Consideration) जिसकी देनगी की जाने पर अनुज्ञा दी जा सकेगी।

1(च-दो) धारा 14 की उपधारा (5) के अधीन वह प्रारूप। जिसमें सम्पत्ति के अधिहरण के लिये कार्यवाहियों की सूचना भेजी जायेगी।

1(च-तीन) धारा 14-क की उपधारा (1) के अधीन वह प्रारूप जिसमें अपील की जाएगी तथा फीस की वह रकम जो ऐसी अपील के साथ दी जायेगी और वह रूप जिसमें वह देय होगी।

(छ) कोई अन्य विषय जिसका इस अधिनियम के अधीन अभिव्यक्त व विवक्षित (expressly) रूप से विहित किया जाना अपेक्षित हो।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान-सभा के पटल पर रखे जावेंगे। टिप्पणी - धारा 19(1) मध्यप्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1965 नियम (6) म.प्र. तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन नियमावली) संशोधन अध्यादेश, 1965 (संशोधन क्र. 3 वर्ष 1965) की धार 3 से किया गया है वह अवैधानिक नहीं है। राज्य शासन को राज्य सूची (प्रविष्टि क्र. 19) के अन्तर्गत अधिनियम बनाने की शक्ति है तथा ऐसे अध्यादेश के लिये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। (देखें AIR 1966 M.P. 110)

(2) म.प्र. तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) 1964 की धारा 19 के अन्तर्गत बने नियम रूल 3(a) फार्म सी, यह क्लाज 6(XX) जो उसके अन्तर्गत बने वे वैधानिक हैं और राज्य शासन की नियम बनाने की शक्ति के अन्तर्गत् हैं। (देखें भगवती बीडी ली.ज.कं.वि. म.प्र. शासन, वीकली नोट 1978(1), पृष्ठ 394)

धारा 20. भारतीय वन अधिनियम के उपबन्ध अन्य विषयों को लगाू होंगे - तेन्दू पत्तें से सम्बन्धित वे विषय जिनके लिये अधिनियम में उपबन्ध नहीं हैं और जिनके लिये उपबन्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) में है, उस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा शशसित होंगे।

धारा 21. निरसन - विन्ध्यप्रदेश तेन्दू पत्ता अधिनियम, 1953 (क्र. 6, वष्ज्ञ्र 1953) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

धारा 22. कठिनाइयों का निवारण - इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य शासन आदेश द्वारा ऐसे उपबन्धां से असंगत न होने वाला कोई भी ऐसा कार्य कर सकेगा जो कि उसे कठिनाई का निवारण करने के प्रयाजनों के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो।

टिप्पणी - (1) उन टेन्डर में जिनमें उपरीलेखन हो (over writing) अमान्य किये जा सकते हैं। उनको संविधान की धारा 226 का लाभ नहीं मिलेगा।

(2) तेन्दू पत्ता टेन्डर की शर्तों के उल्लंघन के फलस्वरूप जमा धन राज सात नहीं हो सकता क्योंकि उससे शासन को कोई हानि नहीं हुई। निर्णय दि. 2-5-88 जबलपुर हाईकोर्ट।

(Misc. Petition No. 514/1988 & other (J.B.P.)

---

1. म.प्र. तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा संशोधित।

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 568] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2022—आश्विन 26, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2022

क्र. 15687-259-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15 अक्टूबर, 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २७ सन् २०२२

मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम, २०२२

[दिनांक १५ अक्टूबर, २०२२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १८ अक्टूबर २०२२ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, १९६४ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम, २०२२ है.

धारा १५ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, १९६४ (क्रमांक २९ सन् १९६४) की धारा १५ में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(क) वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो पांच हजार रुपए से कम नहीं होगा तथा पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा;".

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2022

क्र. 15687-259-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2022 (क्रमांक 27 सन् 2022) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 27 OF 2022

THE MADHYA PRADESH TENDU PATTA (VYAPAR VINIYAMAN) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2022

[Received the assent of the Governor on the 15th October, 2022; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 18th October, 2022.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1964.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-third year of the Republic of India as follows :—

Short title. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Sanshodhan Adhiniyam, 2022.

Amendment of Section 15. 2. In Section 15 of the Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1964 (No. 29 of 1964), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

" (a) he shall be punishable with fine which shall not be less than five thousand rupees and may extend to fifty thousand rupees;".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.